

भोजन एवं नास्ता सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा

परिशिष्ट – “अ”

नियम-शर्तें :-

1. निविदाकर्ता फर्म के पास प्रशासन द्वारा जारी खाद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। [विभाग द्वारा जारी जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करें]
2. निविदाकर्ता फर्म का GST/ST पंजीयन तथा पैन नंबर होना चाहिए। (यदि संबंधित नियम के दायरे में आते हों।) [कर विभाग द्वारा जारी किये गए GST/ST पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करें]
3. निविदा फार्म प्राप्त करने हेतु राशि 500/- का बैंक ड्राफ्ट जिला स्वास्थ्य समिति, दंतेवाड़ा के पक्ष में देय होगा। जो कि किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा।
4. अमानत राशि रु. 10,000/- जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, दंतेवाड़ा के नाम से दंतेवाड़ा में देय, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. सूचीबद्ध समस्त अथवा किसी एक फर्म/ एजेंसी से सामग्री/ सेवा की आपूर्ति की जा सकती है, सूचीबद्ध सेवा प्रदाता से सामग्री की आपूर्ति/ सेवा लिए जाने अथवा नहीं लिए जाने संबंधित निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जावेगा। अर्थात् कार्यालय किसी से भी आपूर्ति कराये जाने हेतु बंधनकारी नहीं होगा, तात्कालिक मांग, आवश्यकता, गुणवत्ता, सेवा/ सामग्री की उपलब्धता/ आबंटन राशि की उपलब्धता व पूर्व अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए कार्यादेश किसी भी सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं को दिए जाने हेतु कार्यालय स्वतंत्र होगा।
6. निविदा अवधि में सामग्री के दरों में उतार-चढ़ाव इत्यादि की दशा में किसी भी प्रकार का अंतर मान्य नहीं होगा।
7. निविदाकर्ता फर्म को कार्य/सेवा के सम्बन्ध में 01 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
8. निविदाकर्ता फर्म का जिला दंतेवाड़ा में होना अनिवार्य है।
9. निविदाकर्ता फर्म चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के किसी अधिकारी/कर्मचारी के परिवार का ना हो।
10. मापदंड के अनुसार भोजन सामग्री आपूर्ति सही नहीं होने की दशा में प्राप्त सामग्री/सुविधा स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर उसे वापस ले जाना होगा।
11. निर्धारित समय सीमा (न्यूनतम 01 दिन) पर व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा समिति द्वारा 02 प्रतिशत पेनाल्टी के साथ निविदा समाप्त कर दी जावेगी।
12. देयक का भुगतान नियमानुसार शासन द्वारा प्रचलित आयकर/टीडीएस की कटौती उपरांत ही संभावित अवधि में किया जावेगा।
13. अपूर्ण एवं ओवररायटिंग की स्थिति में निविदा निरस्त किया जा सकेगा।
14. चयनित फर्म की सेवा एक वर्ष के लिए अनुबंधित होगी। चाही गई सेवा और प्रदायित सेवा के अनुरूप संतुष्टि की दशा में सेवा अवधि अनुबंध आगामी वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
15. चयन प्रक्रिया L-1 प्रकृति आधार पर किया जावेगा, निविदा हेतु स्वीकृत फर्म/एजेंसी द्वारा सामग्री की आपूर्ति की जा सकती है, इसके अतिरिक्त निविदा में सम्मिलित सेवाप्रदाता द्वारा न्यूनतम दर L-1 अनुसार कार्य किये जाने में सहमति दिये जाने की स्थिति में ऐसे फर्मों से भी तात्कालिक आवश्यकता, कार्यगुणवत्ता, मात्रा ,समायावधि अथवा त्वरित सामग्री आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए एक से अधिक निविदा में सम्मिलित फर्म से सामग्री आपूर्ति कराया जा सकता है।

16. तालिका में उल्लेखित प्रचार प्रसार सामग्री के अतिरिक्त, मांग के आधार पर अन्य सामग्री की आपूर्ति किये जाने पर स्वीकृत निविदा दर में अतिरिक्त सामग्री का वास्तविक लागत राशि सम्मिलित अथवा पृथक से उल्लेख कर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जावेगा।
17. समबन्धित फर्म का यह दायित्व होगा की गुणवत्तायुक्त प्रचार प्रसार सामग्री /सेवा प्रदान करें, प्रचार प्रसार सामग्री /सेवा प्रदान किये जाने में हीलहवाला/गुणवत्ताविहीन की परिस्थिति निर्मित होने पर निर्धारित दर में कटौती अथवा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
18. उल्लेखित शर्तों /कंडिका का पालन नहीं किये जाने पर अथवा किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने पर सुरक्षा निधि जप्त करते हुए फर्म को कालीसूची में पंजीबद्ध किये जाने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा तथा आवश्यकतानुसार न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।
19. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर परिवाद-विवाद दायर हेतु क्षेत्र माननीय न्यायालय दंतेवाड़ा होगा।
20. फर्म द्वारा दर, अन्य जानकारी कवरिंग **लेटर सहित दिया जाना अनिवार्य** होगा।
21. फर्म द्वारा प्रस्तावित दर समस्त करों (Including all taxes) सहित होना अनिवार्य है, पृथक से किसी भी प्रकार के कर का भुगतान नहीं किया जावेगा। आपके द्वारा प्रेषित की गई दर अनुसार स्वीकृति उपरांत एक वर्ष हेतु मान्य होगा, जिसमें बढ़ोतरी /वृद्धि मान्य नहीं होगी।
22. निविदाकर्ता फर्म का नाम काली सूची (Black list) में नहीं होना चाहिये। अन्यथा निविदा प्रस्ताव निरस्त कर दिया जावेगा।
23. निविदा संबंधी नियम एवं शर्तों के लिये निविदाकर्ता फर्म द्वारा 100/- रु. के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। [परिशिष्ट 'स']
24. परिशिष्ट – (ब एवं स) तथा परिशिष्ट – (द) दो अलग अलग बंद लिफाफे में समस्त दस्तावेजों के साथ जमा किया जावे।
25. निविदा खुलने पर सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोला जावेगा तत्पश्चात् संतुष्टि की दशा में वित्तीय निविदा खोला जावेगा।
26. उक्त निविदा की वैधता 31 मार्च 2020 तक मान्य होगी।

परिषिष्ट - ब

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत

भोजन एवं नास्ता सामग्री आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा

(एक अलग सीलबंद लिफाफे में संलग्न कर)

फर्म द्वारा विवरण निम्नानुसार दिया जावे –

क्र.	विवरण				
1	फर्म / कंपनी का नाम				
2	फर्म / कंपनी का पता				
3	मोबाइल नंबर				
4	एस.टी.डी. कोड के साथ फोन नंबर				
5	ईमेल पता				
6	पैन / टैन नंबर (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं			
		पैन नंबर :	टैन नंबर:		
7	फर्म पंजीयन क्रमांक / पंजीयन / गुमास्ता प्रमाणप्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं			
8	पिछले 3 वित्तीय वर्षों का वित्तीय विवरण (प्रमाण के साथ)	वर्ष:2015-16	वर्ष:2016-17	वर्ष:2017-18	
9	जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं			
10	खाद्य पंजीयन क्रमांक प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें				
11	अमानत राशि (संलग्न)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं Rs.10000.00/- (दस हजार रु)			
12	संस्था का नाम जहां भोजन एवं नास्ता प्रदाय की गई हो।	क्रमांक	शास. संस्था / संगठन का नाम	कब से	कब तक

	(कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें।)	1.			
		2.			
		3.			
13	व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता (निविदा संबंधी)	क्र	नाम	पदनाम	पूरा पता / मोबाइल नंबर
		1.			
		2.			
14	घोषणा पत्र राशि 100/- के स्टॉम्प पेपर में जमा।	हाँ		नहीं	

मालिक / फर्म का

नाम

पता

मोबा.

परिषिष्ट – स
घोषणा पत्र

1. यह कि हमारी संस्थान को इस निविदा के तहत प्रदाय की जाने वाली समस्त सेवाओं के लिये किसी भी संस्थान/व्यक्तिविशेष के द्वारा मुकदमेबाजी एवं आरोप नहीं लगाया गया है।
2. यह कि हमारी संस्थान को किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपात्र (Black listed) सूचीबद्ध नहीं है।
3. निविदा में दर्शित समस्त नियम एवं शर्तों को हमारी संस्थान द्वारा मान्य किया जावेगा।

वाहन मालिक/फर्म का

नाम

पता

मोबा.

(नोट – उपरोक्त घोषणा पत्र मे दर्शित नियम एवं शर्तों को निविदाकर्ता द्वारा राशि 100/- के स्टॉम्प पेपर पर सहमति देना अनिवार्य होगा।)

परिशिष्ट – “द”

जिला कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ द्वारा
भोजन एवं नास्ता सामग्री आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र
(वित्तीय निविदा समस्त करों को शामिल करते हुए)

फूड पैकेट (सामग्री का विवरण)	स्टैण्डर्ड फूड पैकेट दर	
	दर प्रति पैकेट	रिमार्क
रोटी/ पराठा (3)		
चावल (पतला)		
दाल		
2 सब्जी (1- मौसमी, 1 अन्य)		
दर		
फूड पैकेट (सामग्री का विवरण)	स्पेशल फूड पैकेट दर (स्पेशल का विवरण सहित अंकित करें)	
	दर प्रति पैकेट	रिमार्क
रोटी/ पराठा (3)		
चावल (पतला)		
दाल		
2 सब्जी (1- मौसमी, 1 अन्य)		
सलाद, रायता		
अचार, पापड़/बिजौरी		
मीठा (1)		
नेपकीन, सौंफ इत्यादि		
दर		
सामग्री का विवरण	दर प्रति प्लेट	विवरण
नास्ता (स्टैण्डर्ड /समोसा /बड़ा/भजिया/आलू चाप या समतुल्य)		
नास्ता (स्पेशल इडली/डोसा/बर्गर या समतुल्य)		
चाय		
कॉफी		
पानी बोतल 01 ली.		
पानी बोतल 500ML		

मालिक/ फर्म का हस्ताक्षर
नाम: